## फर्द अहकाम
(नियम–26)

# अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

| वादी / प्रार्थी | बनाम | प्रतिवादी / विप्रार्थी |
|---|---|---|
| मोटाराम पुत्र उगराराम, जाति जाट<br>निवासी उण्डू, तहसील शिव, बाड़मेर | | पूनमाराम पुत्र उगराराम जाति जाट<br>निवासी उण्डू तहसील शिव, बाड़मेर<br>वगैरा (08) |

**किस्म मुकदमा** राजस्व वाद (धारा 88,188,53) **मुकदमा नम्बर** 02/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.01.2022 | प्रार्थी / वादी / अपीलाण्ट के अधिवक्ता **श्री हुकमसिंह चौधरी** ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 53, 188, 92 (क) व 209 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 19/1/2022 को पेश हो। | 09<br>10.01.22 |
| 19.01.22 | पत्रावली पेश हुई।<br>वादी अधिवक्ता उपस्थित।<br>वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के तामिलशुदा नोटिस पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता देवीलाल कुमावत द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व अधिवक्ता बृजमोहन कुमावत द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकालतनामे पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब तथा शेष का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 28.01.2022 को [illegible] | |
| 28.01.22 | पत्रावली पेश हुई।<br>उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।<br>पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब तथा शेष का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 03.02.22 को पेश हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chau
Date: 2026.01.01 16:46:11 IST
Reason: SelfAttested

03.02.22

पत्रावली पेश हुई।
उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
वादी अधिवक्ता ने इस वादपत्र के साथ प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा पेश अनवान रामूराम बनाम मोटाराम वाद संख्या 156/2021 को कन्सोलेटेड करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं.2 अधिवक्ता द्वारा बतलाया गया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रामूराम V/s मोटाराम वाद पूर्व में पेश किया हुआ है, जो विचाराधीन है। जिसमें बंटवारा का अनुतोष चाहा गया है और पक्षकारान् के हिस्से रेकर्ड में स्पष्ट खुले हुए है तथा हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है एवं रामूराम द्वारा पेश वाद में बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु वादी मोटाराम की ओर से अधिवक्ता ने अपनी सहमति रामूराम बनाम मोटाराम की पत्रावली अभिलेख में दे दी है। जिस कारण वादी के वाद का कोई औचित्य नहीं रहता है तथा समान पक्षकार, समान हक हिस्सा व समान तथ्यों को लेकर पूर्व में वाद विचाराधीन होने से इस पत्रावली को पूर्व पत्रावली जो विचाराधीन है, उसके साथ कन्सोलेटेड किया जावें।

लिहाजा अनवान मोटाराम बनाम पूनमाराम वाद संख्या 02/2022 को पूर्व में विचाराधीन पत्रावली रामूराम बनाम मोटाराम वाद संख्या 156/2021 के साथ कन्सोलेटेड किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:46:11 IST
Reason: SelfAttested